राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील आबकारी संख्या – 1466/2015/जालौर

रामनारायण उर्फ भुटाराम पुत्र श्री रजलाराम जाति विश्नोई
निवासी काबुली की ढ़ाणी, तहसील सांचौर, जिला–जालौर ....**अपीलार्थी**

बनाम्

राजस्थान सरकार, अतिरिक्त आयुक्त आबकारी, जोधपुर ....**प्रत्यर्थी.**

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अमृतपाल सिंह
अभिभाषक। ....**अपीलार्थी की ओर से.**

श्री आर.के. अजमेरा
उप–राजकीय अभिभाषक। ....**प्रत्यर्थी की ओर से.**

निर्णय दिनांक : 28.12.2015

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील, अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जोधपुर द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 54 सपठित धारा 69 के तहत् पारित आदेश दिनांक 26.02.2015 के विरूद्ध अधिनियम की धारा 9(ख) के तहत् प्रस्तुत की।

अपील प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :–

1. थानाधिकारी, पुलिस थाना रानीवाड़ा, जिला जालौर की प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 189 दिनांक 22.09.2014 अनुसार वाहन संख्या **RJ-16-UA-2978** (बोलेरो डी. आई) की दिनांक 08.10.2013 को तलाशी लिये जाने पर 36 कार्टुनों में इम्पेक्ट ड्राई जिन के पव्वे एवं 10 कार्टुन में हेवर्ड 500 बीयर के टिन जिन पर **"For Sale in Harayana Only"** लिखा हुआ था, को बरामद किया। थानाधिकारी द्वारा वाहन को एवं वाहन में अवैध रूप से परिवहन की जा रही मदिरा को जब्त कर अधिनियम की धारा 19/54, 14/57 के अन्तर्गत श्री रामनारायण उर्फ भूटाराम, रघुनाथराम व अजमल सिंह के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. अपीलार्थी वाहन स्वामी ने उक्त जब्त शुद्धा वाहन को छुड़वाने हेतु अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जोधपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जोधपुर ने प्रार्थी को सुनवायी का अवसर प्रदान कर प्रकरण के तथ्यों का परीक्षण करने के उपरान्त उक्त वाहन को राजसात करने के विकल्प के रूप में जुर्माना राशि 4 लाख रूपये जमा कराने की शर्त पर अधिहरण से मुक्ति का आदेश दिनांक 26.02.2015 को पारित किया। जुर्माना राशि 15 दिवस में जमा करवाने का विकल्प प्रार्थी को दिया गया।

28/12/15

लगातार................2

3. अपीलार्थी (प्रार्थी) ने उक्त आदेश से व्यथित होकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में रिट याचिका सं. 2204/2015 दायर की। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 09.03.2015 को अन्तरीम आदेश पारित किया कि याचि जुर्माना राशि का 75 प्रतिशत अर्थात् 3 लाख रूपये एक सप्ताह में जमा करा दे तो कथित वाहन को सुपूदर्गी पर छोड़ दिया जावें। याचि (अपीलार्थी) ने दिनांक 11.03.2015 को तीन लाख रूपये जमा करवाकर उक्त वाहन को सुपूदर्गी पर प्राप्त कर लिया।

4. माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने उक्त रिट याचिका का अन्तिम निस्तारण दिनांक 11.08.2015 को करते हुए निम्न आदेश पारित किया :–

"The order impugned passed by the Commissioner is open to appeal under provision of Section 9-A of the Act.

In view of the availability of alternative remedy, this writ petition in view of the judgment of this Court in the case of Madan Lal Vs State of Rajasthan & Ors : S.B. Civil writ Petition No. 841/2004, decided on 22-3-2013, is not maintainable.

It would be open for the petitioner to approach the Tax Board against the impugned order dated 26-2-2015, who would decide the issues raised by the petitioner on merits.

In Case the petitioner files application under Section 5 and 14 of the Limitation Act, the same would be dealt with sympathetically by the Tax Board.

With the above direction, the writ petition is disposed of."

5. राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 9(A) के प्रावधान निम्न प्रकार से है:–

[9A. Appeals and Revision - (1) An appeal shall lie-

(a) to the Excise commissioner from any order passed by an Excise Officer under this Act, and

["(b) [to the Division Bench of the Rajasthan Tax Board constituted under Sec. 88 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003)], from any order passed by the Excise Commissioner under this Act otherwise than on appeal:";]

(2) Any appeal under sub-section (1) may be preferred at any time within sixty days from the order complained of.

(3) The decision of Excise Commissioner or the [Division Bench of the [Rajasthan Tax Board], as the case may be, on such appeal shall, subject to the result of revision, if any, under sub-section (4), be final .

(4) The ["Division Bench of the [Rajasthan Tax Board] may revise any order passed on appeal by the Excise Commissioner (XXX)]

[Provided that no appeal shall be entertained unless it is accompanied by a satisfactory proof of payment of 75% of the amount of the demand created by the order appealed against]

[(5) Any revision under sub-section(4) may be preferred at any time within thirty days from the date of the order complained of.]

Appellate Authorities & Revisional Authority under Section 9-A

(a) TABLE

Reference	Original Order of	Appeal to Appellate order of	Revision from appellate order only.
S.9A(1)			
(a)	Excise Officer	Excise Commissioner	Division Bench of Rajasthan Tax Board
(b)	Excise Commissioner	Division Bench of Rajasthan Tax Board,	

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि किसी आबकारी अधिकारी (Excise officer) द्वारा पारित मूल आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील आबकारी आयुक्त के समक्ष ही प्रस्तुत की जा सकती है। आबकारी अधिकारी के मूल आदेश के विरूद्ध सीधे निगरानी राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के प्रावधान नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, जो कि अधिनियम की असंगत धारा 9(ख) लिख कर इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है, को श्रवणार्थ ग्रहण किये जाने योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

न्यायहित में अपीलार्थी को इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने के 30 दिन में अपील समक्ष अधिकारी, आबकारी आयुक्त, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की छूट प्रदान की जाती है। अपीलार्थी मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत् प्रार्थना पत्र के साथ अपनी अपील उक्तानुसार आबकारी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

29.12.2015
(मदन लाल)
सदस्य